रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 257] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 1972/अग्रहायण 1, 1894
No. 257] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 1972/AGRAHAYANA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

RESOLUTION

New Delhi, the 16th November 1972

SUBJECT.—*Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal—Reconstitution of.*

No. 1(4)/72-COR.—The question of reconstitution of the Committee of Review of Rehabilitation Work in West Bengal which was set up, *vide* Government of India in the Department of Rehabilitation Resolution No. 5(21)/66-RE, dated the 6th January, 1967, has been under consideration of the Government of India for sometime past. It has now been decided to reconstitute the Committee. The composition of the Committee as reconstituted will be as under:—

Chairman

1. Shri A. C. Guha.

Members

2. Shri P. R. Chakraverti.

3. Shri Basanta Kumar Das.

4. Smt. Renu Chakravarty.

5. Shri Niren Ghosh, M.P.

6. Shri Subodh Chandra Hansda, M.P.

7. 7. Shri P. K. Mukherjee M.P.

8. Shri H. S. Butalia, Joint Secretary. Department of Rehabilitation, Government of India. New Delhi.

9. Dr. B. K. Bhattacharya, Secretary, R. R. & R. Department, Government West Bengal.

Adviser

10. Shri A. K. Sen, Joint Secretary, Ministry of Finance, Government of India.

Secretary

11. Shri M. N. Chanda, Deputy Secretary, Department of Rehabilitation, Government of India.

2. There is no modification of the terms of reference of the Committee. The existing terms of reference are reproduced below:—

(a) To evaluatue the working and results of rehabilitation programmes/measures undertaken in West Bengal for the benefit of old migrants after the Residuary Assessment in 1961-62.

(b) To consider the methods of stepping up the performance of the operational staff, the lines of re-orientation of existing schemes, patterns of assistance and modes of financing for ensuring speedy and effective rehabilitation of old migrants covered under the Residuary Assessment.

(c) To recommend measures including financial assistance in respect of the old migrants for the following:—

(i) development of colonies;

(ii) acquisition of land for resettlement of P.L. Home families;

(iii) rehabilitation loans to those covered in the assessment of the Residuary Problem;

(iv) technical training and industrial schemes;

(d) To asses the nature and magnitude of the problem created by 'new migrants' (migrants who have come to India after 1st January, 1964) who have remained in West Bengal and to recommend to the extent necessary, financial assistance for their technical training, employment, educational and medical facilities.

(e) To examine the functioning of Home and Infirmaries in West Bengal with particular reference to the following:—

(i) Introduction of economically oriented schemes for speedy rehabilitation of the rehabilitable Home families.

(ii) Existing patterns of expenditure of Homes/Infirmaries;

(iii) Measures for the education of childdrn particularly beyond the middle standard; and

(iv) Arrangements for satisfactory accommodation of inmates of Homes and Infirmaries including repairs to existing structures.

NOTE.—In making their recommendations the Committee will pay due regard to the essential needs of the displaced people, prevailing standards of the general population and the available resources of the Government.

3. Other terms and conditions of the Government of India Resolution quoted above, as amended from time to time, will remain unaltered.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to:—

1. The Members of the Committee.
2. The Ministries/Departments of the Government of India.
3. The Planning Commission, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, and the Private and Military Secretaries to the President.
4. The Chief Secretaries to the State Governments/Union Territories.

Ordered also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. S. KAHLON, Secy.

श्रम और पुर्नवास मंत्रालय

(पुर्नवास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1972

विषय:—पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति का पुनर्गठन

संख्या 1(4)/72-**समीक्षा समिती**.—पुनर्वास विभाग, भारत सरकार के संकल्प संख्या 5(21)/66-आर०ई० दिनांक 6 जनवरी 1967 द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति के पुनर्गठन का प्रश्न पिछले कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। अब समिति को पुनर्गठित करने का निर्णय किया गया है। पुनर्गठित समिति की रचना निम्नलिखित प्रकार से होगी :—

अध्यक्ष

1. श्री ए० सी० गुह

सदस्य

2. श्री पी० आर० चक्रवर्ती
3. श्री कान्त कुमार दास
4. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
5. श्री नीरेन घोष, संसद सदस्य
6. श्री सुबोध चन्द्र हन्सदा, संसद सदस्य
7. श्री पी० के० मुखर्जी, संसद सदस्य

सदस्य

8 श्री एच० एम० बुटालिया,
संयुक्त सचिव, पुनर्वास विभाग,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

9 डा० बा० के० भट्टाचार्य,
सचिव, शरणार्थी सहायता एवं
पुनर्वास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

सलाहकार

10 श्री ए० के० सेन, संयुक्त सचिव
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

सचिव

11 श्री एम० एन० चन्दा, उप सचिव,
पुनर्वास विभाग, भारत सरकार ।

3 समिति के वर्तमान विचारार्थ विषयों में कोई संशोधन नहीं हुआ है । वतमान विचारार्थ विषयों को नीचे उद्धृत किया जाता है —

(क) 1961–62 के अवशिष्ट निर्धारण के पश्चात् पश्चिम बंगाल में पुराने प्रवासियों के हित के लिए किए गए पुनर्वास कार्यक्रमों/उपायों की कार्यप्रणाली तथा उनके परिणामों का मूल्यांकन करना ।

(ख) परिचालक वर्ग के कार्य में प्रगति लाने की प्रणाली, वर्तमान योजनाओं को नया रूप देने की दिशा, सहायता के स्वरूप तथा वित्तीय सहायता देने की प्रणाली पर विचार करना ताकि अवशिष्ट निर्धारण के अन्तर्गत आने वाले पुराने प्रवासियों का शीघ्र तथा प्रभावी ढंग से पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके ।

(ग) पुराने प्रवासियों के सम्बन्ध में वित्तीय सहायता सहित निम्नलिखित उपायों की सिफारिश करना —

(i) बस्तियों का विकास ,

(ii) स्थायी दायित्व वाले परिवारों को बसाने के लिए भूमि अर्जन ,

(iii) अवशिष्ट समस्या के निर्धारण के अन्तर्गत आने वालों के लिए पुनर्वास ऋण

(iv) तकनीकी प्रशिक्षण तथा औद्योगिक योजनाएं ।

(घ) उन 'नए प्रवासियों' के कारण (वे प्रवासी जो 1 जनवरी, 1964 के पश्चात भारत आए हैं) जो पश्चिम बंगाल में ही रह गए हैं उत्पन्न हुई समस्या के स्वरूप तथा विस्तार का पता लगाना और उनके तकनीकी प्रशिक्षण, रोजगार, शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिए आवश्यक सीमा तक वित्तीय सहायता की सिफारिश करना ।

(ङ) निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखते हुए पश्चिम बंगाल में गृहों और अस्पतालों की कार्यप्रणाली की जांच करना —

(i) गृहों में रह रहे पुनर्वास योग्य परिवारों का शीघ्र पुनर्वास करने के लिए मितव्ययी योजनाओं को आरम्भ करना ।

(ii) गृहों/अस्पतालों पर होने वाले खर्च का वर्तमान स्वरूप ।

(iii) बच्चों की शिक्षा के लिए उपाय विशेषकर मिडिल स्तर के ऊपर के लिए; और

(iv) वर्तमान इमारतों की मरम्मत सहित गृहों और अस्पतालों में रहने वालों के लिए संतोषजनक आवास की व्यवस्था करना।

टिप्पणी.—अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करते समय समिति विस्थापित व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं, सामान्य जनता के वर्तमान स्तर तथा सरकार के उपलब्ध साधनों का विशेष ध्यान रखेगी।

4. समय समय पर किए गए संशोधनों सहित ऊपर उद्धृत भारत सरकार के संकल्प से संबंधित अन्य शर्तें तथा प्रतिबन्ध अपरिवर्तित रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेज दी जाए :—

1. समिति के सदस्य।
2. भारत सरकार के मंत्रालय। विभाग।
3. योजना आयोग, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव।
4. राज्य सरकारों। संघ प्रशासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

जी० एस० काहलों, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972